

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

प्रयागराज, बागपत, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, प्रतापगढ़, शामली, शाहजहाँपुर, सहारनपुर, वाराणसी, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, इटावा, सीतापुर, फतेहपुर एवं अलीगढ़।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 29 सितम्बर, 2021

विषय:- कोविड-19 के रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के लिये कार्यरत कर्मिकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी०सी०, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश संख्या-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी०सी०, दिनांक 22.06.2021 द्वारा कोविड-19 की रोकथाम, बचाव व उपचार में लगाये गये कर्मिकों की कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को ₹0 50.00 लाख की एकमुश्त अनुग्रह धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

2- उक्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अंतर्गत आपके जनपद से प्राप्त प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण से मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को ₹0 50.00 लाख की एकमुश्त राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु निम्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कालम-7 में अंकित धनराशि सम्बन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम संख्या	जनपद का नाम	मृतक का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (लाख रुपये में)	स्वीकृत की जाने वाली कुल धनराशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रयागराज	स्व० अंजनी कुमार	ज्येष्ठ खान अधिकारी	खनन	50.00	150.00
		स्व० वाई. पी. शुक्ला	प्रभारी निदेशक	वन	50.00	
		स्व० बबली	आंगनवाडी सहायिका	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	
2	बागपत	डा० देवानन्द राम	वरिष्ठ कोषाधिकारी	वित्त	50.00	50.00
3	मुरादाबाद	स्व० चमन लता	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	50.00
4	मुजफ्फरनगर	स्व० बसंत कुमार	चपरासी	राजस्व	50.00	100.00
		स्व० जोगमेन्द्र सिंह	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	
5	मेरठ	स्व० मंयक रस्तोगी	सहायक अध्यापक	बेसिक शिक्षा	50.00	150.00
		स्व० चमन सिंह	वाहन चालक	राजस्व	50.00	
		स्व० अजय कुमार गुप्ता	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	
6	प्रतापगढ़	स्व० सुरेश चन्द्र तिवारी	सहायक विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	200.00

		स्व0 राम नायक वर्मा	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	
		स्व0 शशि प्रकाश शुक्ला	वरिष्ठ सहायक	ग्राम्य विकास	50.00	
		स्व0 राम अवध सरोज	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	
7	शामली	स्व0 सतीश कुमार	संग्रह अमीन	राजस्व	50.00	50.00
8	शाहजहाँपुर	स्व0 संजय कुमार	संग्रह अनुसेवक	राजस्व	50.00	50.00
9	सहारनपुर	स्व0 सत्येन्द्र सिंह	फायरमैन	गृह	50.00	50.00
10	वाराणसी	स्व0 विजय नारायण सिंह	लेखपाल	राजस्व	50.00	50.00
11	अमरोहा	श्री नीटू सिंह	वरिष्ठ सहायक	राजस्व	50.00	50.00
12	गौतमबुद्धनगर	स्व0 रघुनन्दन सिंह	वाणिज्य कर अधिकारी	कर निबंधन	50.00	50.00
13	लखनऊ	स्व0 कपिल कुमार कटियार	अनुसचिव	राजस्व	50.00	50.00
14	इटवा	स्व0 ममता देवी	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	100.00
		स्व0 विशाल श्रीवास्तव	ग्राम विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास	50.00	
15	सीतापुर	स्व0 अरुण कुमार श्रीवास्तव	राजस्व निरीक्षक	राजस्व	50.00	50.00
16	फतेहपुर	स्व0 जितेन्द्र कुमार सिंह	लेखपाल	राजस्व	50.00	50.00
17	अलीगढ़	स्व0 राम स्नेही	आंगनवाडी कार्यकर्त्री	बाल विकास एवं पुष्टाहार	50.00	50.00
कुल योग						1300.00

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश सं0-249/एक-11-2020-04(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 11.04.2020 एवं शासनादेश सं0-411/एक-11-2021-4(जी)/2015 टी0सी0, दिनांक 22.06.2021 तथा राजस्व अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या-1394/एक-10-2021-33(08)/2021 दिनांक 26.07.2021 निहित प्राविधानों/शर्तों के आलोक में जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण का स्वयं सम्यक परीक्षण कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित होने के उपरान्त ही संबंधित कार्मिक की इयूटी कोविड की रोकथाम, बचाव अथवा उपचार में वास्तव में लगाई गई थी एवं कोविड के संक्रमण से ही उसकी मृत्यु हुई है। जिलाधिकारी पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही संबंधित कार्मिक के आश्रितों को अहेतुक सहायता धनराशि की स्वीकृति एवं वितरण करेंगे।

(3) स्वीकृत धनराशि आहरित कर के बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी, अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने की शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उत्पन्न कराना तथा इसका सदुपयोग

सुनिश्चित करना एवं व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। प्रदत्त धनराशि का पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹0 13,00,00,000/- (रुपये तेरह करोड़ मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/एक-10-2021-33(06)/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 - महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0।
- 6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,


(राम केवल) 29-9-21
विशेष सचिव।

Print Report**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022

आवंटन दिनांक-30/09/2021

प्रेषण संख्या:- 1699
 आवंटन आदेश संख्या:- 112-2021-2022
 अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (द्वैविधिय के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
 लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
 800 - अन्य व्यय
 06 -
 09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सहारनपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 66108000	5000000 66108000
2	मुज़फ़्फ़र नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 54664000	10000000 54664000
3	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 86236000	15000000 86236000
4	अलीगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 96273000	5000000 96273000
5	मुरादाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 49321000	5000000 49321000
6	शाहजहाँपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 61766000	5000000 61766000
7	इटावा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 44980000	10000000 44980000
8	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 64074000	5000000 64074000
9	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	15000000 151795000	15000000 151795000
10	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 132723000	5000000 132723000
11	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 102601000	5000000 102601000
12	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 75021000	5000000 75021000
13	प्रतापगढ़-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	20000000 58067000	20000000 58067000
14	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 23697000	5000000 23697000
15	बागपत-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 20537000	5000000 20537000
16	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 40553000	5000000 40553000
17	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 30545000	5000000 30545000
	योग	वर्तमान प्रगामी	130000000 1158961000	130000000 1158961000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया तेरह करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):-

रूपया एक अरब पन्द्रह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(अखिलेश प्रताप सिंह)

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

राहत आयुक्त कार्यालय